प्रेस नोट ***28/03/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व ₹5,000-5,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 28-03-2025 को मु0अ0सं0 235/2008 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अवधू यादव पुत्र भुवनेश्वर, शंभू यादव पुत्र भुवनेश्वर, धरमू यादव पुत्र भुवनेश्वर समस्त निवासीगण वलीदपुर भीरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000-5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

01 वांछित तथा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.03.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर बापू इण्टर कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 44/25 धारा 376,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त लालबहादु चौहान पुत्र स्व0 यदुनन्दन चौहान निवासी मुबारकपुर कुवारीडीह थाना हलधरपुर व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र ढोढा यादव निवासी दौलसेपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।